



वर्ष 2023 में सबसे कम CAG अंकेक्षण

प्रलिस के लयः

[नयऱरक-महालेखापरीकषक](#) की नयुक्त और नषऱसन, CAG से संबधतऱ संवैधानकऱ प्ररवधरन

मेन्स के लयः

भरत जैसे लोकतंत्रकऱ देश में अंकेक्षण की भूमकऱ, CAG के कर्तव्य

[स्रोत: द हदुऱ](#)

चर्चर में क्यूरुं?

कैलेंडर वर्ष 2023 में [नयऱरक-महालेखापरीकषक \(CAG\)](#) दवरर तैयर केंदर सरकर के लेखरंकन पर केवल 18 अंकेक्षण रपुऱर संसद में प्रसतुत की गई। वर्ष-वर वशऱलेषण से पतर चलतर है कऱ केंदर सरकर दवरर संसद में प्रसतुत कयऱ जाने वरले अंकेक्षण की संख्या कम हुऱ रही है।

- वर्ष 2019 तथर 2023 के बीच प्रत्येक वर्ष औसतन 22 रपुऱरें प्रसतुत की गईं जबकऱ वर्ष 2014 एवं 2018 के बीच 40 रपुऱरें पेश की गईं।

CAG कर करररलय क्यर है?

- परचयः**
 - भरत कऱ नयऱरक एवं महालेखापरीकषक (Comptroller and Auditor General of India), एक संवैधानकऱ प्ररधकऱरण है जो भरतीय लेखापरीकषर और लेखर वभरग (Indian Audit and Accounts Department- IA&AD) कऱ प्रमुख हुऱतर है। दुरुनू संस्थाओं कु सरवुच लेखर परीकषर संस्थरन भरत (Supreme Audit Institution of India- SAI) के रूप में जनर जनर हुऱतर है।
- जनरदेशः**
 - "जनतर के धन के संरकषक" के रूप में CAG कु केंदर तथर ररज्य सरकररुं सहतऱ उन संगठनू अथवर नकरररुं के सभी वय्य कऱ नरीकषण तथर अंकेक्षण करने की ज़मऱेदररी सूपी गई है, जनऱहें सरकर वशऱष तुर पर वतऱतपुषतऱ करती है।
 - यही कररण है कऱ डुऱ.बी.रर.अंबेडकर ने कहर कऱ CAG भरत के संवधरन के तहत सबसे महत्त्वपूरण अधकऱरी हुऱतर है।
- संवैधानकऱ प्ररवधरनः**
 - अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र करररलय कऱ प्ररवधरन करतर है।
 - CAG से संबधतऱ अन्य प्ररवधरनू में अनुच्छेद 149-151 (कर्तव्य और शकतऱरुं, संघ व ररज्यूरुं के खरतुं कऱ स्वरूप तथर अंकेक्षण रपुऱर), अनुच्छेद 279 (नवल ररय कऱ परकऱलन इतुयऱदऱ) तथर तीसरी अनुसूची (शपथ अथवर प्रतजऱरन) एवं छठी अनुसूची (असम, मेघरलय, तुरपुरर व मज़ुरम ररज्यूरुं में जनजनरतऱय कषेत्रुं कऱ प्रशरसन) शरमलऱ हैं।
- नयुक्तऱः** CAG की नयुक्तऱ [भरत के ररषटुरपतर](#) दवरर उनके हसुतऱकषर तथर मुहर के तहत एक वररंट दवरर की जनरऱ है।
 - उसे करर्यकऱल की सुरकषर प्रदऱन की जनरऱ है तथर संवधरन में उल्लखऱतऱ प्रकररऱ के अनुसार ही ररषटुरपतर दवरर हटऱयऱ जऱ सकतर है।
- करर्यकऱलः** 6 वर्ष की अवधऱ यऱ 65 वर्ष की ररयु प्ररपुत करने तक, जो भी पहले हुऱ।
- नषऱसनः** CAG कु करररलय से हटऱने के लयऱ एक वशऱषऱट प्रकररऱऱः संसद के प्रत्येक सदन से अभभरषण प्ररपुत करने के बरद ररषटुरपतर कऱ एक ररदेश, की ररवशुयकतर हुऱतर है।
 - नषऱसन कु प्रभरवी बनऱने के लयऱ अभभरषण कु उस सदन की कुल सदस्यतर के बहुमत और उसी सतर में उपसथतऱ एवं मतदऱन करने वरले सदस्यूरुं के कम से कम दुऱ-तहररुं बहुमत दवरर ररमरथतऱ हुऱनऱ कऱहयऱ।
 - नषऱसन के ररधररुं में सदऱध दुरव्यवहरर यऱ अकषमतर शरमलऱ है।
- स्वतंत्रतर के प्ररवधरनः** प्रमुख प्ररवधरनू में शरमलऱ हैं-
 - CAG कऱ वेतन और खर्च भरत की संचतऱ नधऱ पर भरतऱ हुऱतर है।
 - CAG कु करर्यकऱल की सुरकषर प्रदऱन की जनरऱ है और वह ररषटुरपतर की इच्छर तक पद पर नही रह सकतर है, हरलऱंकऱ उसकी नयुक्तऱ

राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।

- कार्यालय छोड़ने पर **CAG** को कार्यालय की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखते हुए, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के भीतर किसी भी अनुवर्ती पद को धारण करने से रोक दिया जाता है।

भारत जैसे लोकतंत्र में अंकेक्षण की क्या भूमिका है?

■ पारदर्शिता और दायित्व:

- सार्वजनिक विश्वास:** अंकेक्षण जनता में विश्वास उत्पन्न करता है कि किरदाताओं के पैसे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- दायित्व:** वे सरकारी निकायों और अधिकारियों को उनके वित्तीय नरिण्यों एवं कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराते हैं, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग या गलत आवंटन को रोकते हैं।

■ वित्तीय कुप्रबंधन को रोकना:

- तुरुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना:** अंकेक्षण तुरुटियों, वसिंगतियों या संभावित धोखाधड़ी गतविधियों को उजागर करने में सहायता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए।
- बजट अनुपालन:** वे सत्यापित करते हैं कि क्या वित्तीय गतविधियाँ बजटीय आवंटन के साथ संरेखित हैं, जिससे अधिक खर्च या अनधिकृत व्यय को रोका जा सके।

■ दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार:

- अक्षमताओं की पहचान करना:** अंकेक्षण प्रक्रियाओं में अक्षमताओं को उजागर करता है, जिससे सुधार और लागत-बचत उपायों की अनुमति मिलती है।
- प्रदर्शन मूल्यांकन:** ये सरकारी कार्यक्रमों और पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करते हैं तथा बेहतर परिणामों के लिये भविष्य के नीतित्ति नरिण्यों का मार्गदर्शन करते हैं।
- नरिणय लेने की क्षमता को बढ़ाना:** ऑडिट रिपोर्ट नीतित्ति निर्माताओं हेतु मूल्यवान अंतरदृष्टि प्रदान करती है, बेहतर प्रशासन के लिये सूचित नरिणय लेने में सहायता करती है।

- वैश्विक मानक और सहयोग:** वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले अंकेक्षण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समुदायों में देश की स्थिति में सुधार करते हैं, सहयोग और साझेदारी को सुवधाजनक बनाते हैं।

नोट: भारत का संविधान CAG को नरिण्यत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों के रूप में देखता है। हालाँकि व्यवहार में CAG मुख्य रूप से केवल महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, न कि नरिण्यत्रक के रूप में। दूसरे शब्दों में CAG का फंड संवत्तिरण पर नरिण्यत्रक नहीं है। व्यय होने के बाद इसे केवल ऑडिट चरण के दौरान ही शामिल किया जाता है।

आगे की राह

■ ऑडिट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:

- कुशल कार्यप्रवाह:** समय पर और व्यापक रिपोर्टिंग की सुवधा के लिये सरकारी विभागों के भीतर सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को लागू करना, तेज़ी से ऑडिट पूरा करने में सहायता करना।
- डिजिटल परिवर्तन:** ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और उनमें तेज़ी लाने, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने तथा रिपोर्ट नरिमाण में तेज़ी लाने के लिये तकनीकी प्रगति को अपनाएँ।

■ पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना:

- समय पर रिपोर्टिंग:** संसद में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये स्पष्ट समयसीमा और प्रोटोकॉल नरिधारित करना, समय पर प्रस्तुत एवं चर्चा सुनिश्चित करना।
- उन्नत सार्वजनिक पहुँच:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करना, अधिक सार्वजनिक जाँच और समझ को बढ़ावा देना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. लोक नरिधिके फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नरिण्यत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है?

- CAG संसद की ओर से राजकोष पर नरिण्यत्रक रहता है जब भारत का राष्ट्रीय आपात/वित्तीय आपात घोषित करता है।
- CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किये गए प्रतविदनों पर लेखा समतिविचार-वमिर्श करती है।
- CAG के प्रतविदनों से मली जानकारियों के आधार पर जाँचकर्ता एजेंसियाँ उन लोगों के वरिद्ध आरोप दाखल कर सकती हैं जिन्होंने-लोक नरिधिप्रबन्धन में कानून का उल्लंघन किया हो।
- CAG को ऐसी मशरिर्त न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कम्पनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर

अभययोग लगा सके ।

उपयुक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: C

??????:

प्रश्न. "नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) को एक अत्यावश्यक भूमिका नभानी होती है ।" व्याख्या कीजिये कयिह कसि प्रकार उसकी नयिक्ता की वधि और शर्तों के साथ ही साथ उन अधिकारों का वसितार से परलिक्षति होती है ,जनिका प्रयोग वह कर सकता है । (2018)

प्रश्न. संघ और राज्यों के लेखांकन के संबंध में नयित्तरक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संवधान के अनुच्छेद 149 से वयुत्त्पन है । चर्चा कीजिये कक्या सरकार की नीतिका रयान्वयन का लेखा परीक्षण करना अपने स्वयं (नयित्तरक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारता का अतकिरण करना होगा या नहीं । (2016)

PDF Refernce URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/2023-records-lowest-number-of-cag-audits>

